

सेवा में,

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम रवेण्डियाली की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 154 में मेरा/हमारा नाम सुजाना सिंह पुत्र मिसरा जाति दरीगा दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुद्ध नाम सुजाना सिंह पुत्र मिसरा जाति रावणा राजपुर हैं।  
 अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।

सुजाना सिंह  
 हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

**रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक**

पार्थी के सुजाना सिंह पुत्र मिसरा जाति दरीगा के स्थान पर सुजाना सिंह पुत्र मिसरा जाति रावणा राजपुर नाम सुद्ध करने की कृपा की जाती है।

सुजाना  
 16.10.25  
 CLR/अधीन

सुजाना सिंह  
 अधीन

**रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार**

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित हैं।

GMS - 2025/580

आदेश

सुजाना सिंह  
 तहसीलदार समदड़ी

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/1579

दिनांक:- 16.10.2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम रवेण्डियाली की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 154 में सुजाना सिंह पुत्र मिसरा जाति दरीगा के स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज सुजाना सिंह पुत्र मिसरा जाति रावणा राजपुर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



सुजाना सिंह  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिवक्ता  
 सिवाना (बालोतरा)